न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 17	28.02.2017	04.07.2019

1. मुस्ताक अली पुत्र श्री जहुर अली जाति मेव निवास दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– प्रार्थी

:: बनाम ::

1. सरला पत्नी लाल चन्द
2. शीला देवी पुत्री लाल चन्द जाति जाट निवासी ग्राम हरसोली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
3. अमीलाल
4. सज्जन सिंह पुत्रांन हरदयाल जाति जाट निवासी कुठानी तहसील व जिला रेवाडी हरि0।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 राज0
काश्ताकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थितः–

1. श्री आनन्द राव अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नरहरी व्यास अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 राज0 काश्ताकारी अधिनियम पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी ख0 संख्या 105 रकबा 1.05 है0 ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम में स्थित है। जो प्रार्थी की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसका राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदीयात में अमल हो रहा है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी व नक्शा एक्स पर्चा संलग्न है। ग्राम हरसोली से बीबीरानी तहसील कोटकासिम को सरकारी सड़क जारी है कि जिस सड़क से लगते हुए अप्रार्थीगण की आराजीयात है। मिन प्रार्थी के ख0 स0 105 का एक रास्ता 10 फिट चौडा जो कि सदैव से जारी है की जो रास्ता मिन प्रार्थी की आराजी से मुख्य सड़क सरकारी हरसोली से बीबीरानी जाने वाली पर खुलता है। उक्त आराजी को मिन प्रार्थी ने जरिये रजि0 बयनामा पूर्व खातेदार काश्तकार से बाजाप्ता बाकब्जा समस्त प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया हुआ है। उक्त आराजी में आवागमन हेतु पूर्व खातेदार काश्तकार का भी यही रास्ता था। मिन प्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात में आने जाने के लिए उक्त 10 फिट चौड़ा रास्ता के अलावा और कोई रास्ता नही है। प्रार्थी ने उक्त ख0 सं0 105 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी (अलवर)

Scanned by CamScanner

आराजी जिसका ख0सं0 487/102 व 101 के उतर में ड़ोल से लगते हुए 10 फिट चौड़े रास्ते में से ही प्रार्थी से पहले उक्त आराजी का पूर्व खातेदार काश्तकार अपनी आराजी में आवागमन करता चला आरहा था बाद खरीद के अब मिन प्रार्थी भी स्वयं अप्रार्थीगन की उक्त आराजीयात के तरफ उत्तर में डोल से लगते हुए 10 फिट चोड़ा रास्ता में से आवागमन करता चला आ रहा है।

सरकारी सड़क जो कि ग्राम हरसौली से बीबीरानी जा रही है। जिस सरकारी सड़क से लगते हुए अप्रार्थीगन की आराजीयात है तथा अप्रार्थीगन की आराजी के तरफ पूर्व में प्रार्थी की आराजी ख0 सं0 105 है। तथा मिन प्रार्थी की आराजी ख0 सं0 105 से शुरू होकर सरकारी मुख्य सड़क को 10 फिट चोड़ा रास्ता जारी है। जिससे पहले पूर्व खातेदार काश्तकार अपनी आराजी ख0 सं0 105 में आवागमन करता था अपने बेल गाड़ी उंट गाडी ट्रैक्टर आदि साधन लाता था तथा ले जाता था तथा अब बाद खारीद मिन प्रार्थी उक्त रास्ता से अपनी आराजी में आवागमन कर रहा है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मिन प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु नही है। उक्त रास्ता की बाबत पहले पूर्व खातेदार काश्तकार को समस्त प्रकार के सुखाधिकार प्राप्त थे तथा बाद खरीद उक्त आराजी के मिन प्रार्थी को उक्त रास्ता की बाबत समस्त प्रकार के सुखाधिकार हांसिल हो चुके है। प्रार्थी ने अपनी आराजी खं0सं0 105 में बोरिंग किया हुआ है। वही कृषि प्रयोजनार्थ कोठडी बनाई हुई है कृषि विधुत संवंध लिया हुआ है कोठडी में अपने कृषि यन्त्र रखता है कि जिनको अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। प्रार्थी की आराजी में बोरिंग व कोठडी में आने जाने का इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी ने दिनांक 05.12.2017 को अप्रार्थीगन से प्रार्थी के खेत में बोरिंग कृषि संबध व खेत में बनी कोठडी तक आने जाने हेतु रास्ता 10 फिट चोडा से उक्त ख0 स0 105 के पूर्व खातेदार काश्तकार व बाद खरीद स्वयं के लिए उक्त आराजी में आवागमन हेतु सहमति चाही तो उन्होने इन्कार कर दिया।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण की आराजी ख0 सं0 487/102 व 101 ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में से सड़क ग्राम हरसौली से ग्राम वीबीरानी की तरफ जा रही सड़क से तरफ पूर्व में अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात स्थित है तथा अप्रार्थीगण की आराजीयात के तरफ उत्तर में डोल से लगते हुए 10 फिट चोडा रास्ता प्रार्थी की आराजी ख0 नम्बर 105 ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 तक दिलाया जावे और इसी कदर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता का अंकन कराया जावे। उक्त आराजी अप्रार्थीगन की आराजी से लगती हुई है। जिसमें से रास्ते में से दी जाने वाली भूमि उस भूमि के बदले में बराबर भूमि देने को तैयार हूँ व विकल्प में डी.एल.सी. रेट से राशि भी प्रार्थी देने के लिए तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी ख0न0 105 को खरीदना कथन कर रहा है। जिससे खरिदने का कथन किया है उसके द्वारा कराये गये बैयनामें में कही मार्ग व रास्ते का जिक्र नही है। प्रार्थी ने रास्ता अथवा मार्ग के संबन्ध में बनावटी, मिथ्या वो गलत तथ्य दर्ज किये है। जिससे प्रार्थी खरीदना चाहता है उस व्यक्ति ने भी कभी इस संबन्ध में अपने जीवन काल में कोई उज्र नही किया और नाही कोई अपना अधिकार बताया। प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से भूमि खरीद की है तो धनवल व लठ के वल से हम अप्रार्थीगण की आराजी को क्षति व नुकसान पहुचाने के उदेश्य से बनावटी व नूमायशी व गलत तथाकथित रास्ता का तथ्य दर्ज किया है। जब कोई ऐसा तथाकथित रास्ता है ही नही और ना ही कभी रास्ता का वजूद रहा है तो किसी के भी आवागमन करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। आराजी ख0न0 487/102 व आराजी ख0 न0 101, 488/103, 104 को इससे उत्तर–दक्षिण को लगती हुई आराजीयात खसरा नम्बरान हम अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा अप्रार्थीगण की आराजी के तरफ पूर्व को अन्य खातेदारान की आराजी लगती हुई है। जिन्होने भी कभी भी हम अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता होना नही बताया। जिन तथ्यों

उपखण्ड अधिकारी (अलवर)

Scanned by CamScanner

के आधार पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है वो धारा 251 ऐ. राज.टी.ए की तारीफ में नही आता और ना ही न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार का है। इस तरह के अधिकारो के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शैडयूल तृतीय के पार्ट द्वितीय में तहसीलदार को अधिकारिता है एवं जैसा की प्रार्थी सुखाधिकार अधिकार के संबन्ध में उल्लेख करके आया है वहा सिर्फ एक मात्र क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट (दिवानी न्यायालय) की है। प्रथम दृष्टया जिन तथ्यो के आधार पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है वो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ऐ. राज.टी.ऐ. की तारीफ मे नही आने के कारण न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नही है। ना कानूनन श्रवण योग्य है। न्यायालय श्रीमान में कानूनन प्रार्थना पत्र पिजराई नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि विवादित आराजी ख0 संख्या 105 रकबा 1.05 है0 ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम में स्थित है। जो प्रार्थी की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसका राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदीयात में अमल हो रहा है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी व नक्शा एक्स पर्चा संलग्न है। ग्राम हरसोली से बीबीरानी तहसील कोटकासिम को सरकारी सड़क जारी है कि जिस सड़क से लगते हुए अप्रार्थीगण की आराजीयात है। मिन प्रार्थी के ख0 स0 105 का एक रास्ता 10 फिट चौडा जो कि सदैव से जारी है की जो रास्ता मिन प्रार्थी की आराजी से मुख्य सड़क सरकारी हरसोली से बीबीरानी जाने वाली पर खुलता है। उक्त आराजी को मिन प्रार्थी ने जरिये रजि0 बयनामा पूर्व खातेदार काश्तकार से बाजाप्ता बाकब्जा समस्त प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया हुआ है। उक्त आराजी में आवागमन हेतु पूर्व खातेदार काश्तकार का भी यही रास्ता था। मिन प्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात में आने जाने के लिए उक्त 10 फिट चौड़ा रास्ता के अलावा और कोई रास्ता नही है। प्रार्थी ने उक्त ख0 सं0 105 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी जिसका ख0सं0 487/102 व 101 के उतर में ड़ोल से लगते हुए 10 फिट चौड़े रास्ते में से ही प्रार्थी से पहले उक्त आराजी का पूर्व खातेदार काश्तकार अपनी आराजी में आवागमन करता चला आरहा था बाद खरीद के अब मिन प्रार्थी भी स्वयं अप्रार्थीगन की उक्त आराजीयात के तरफ उत्तर में डोल से लगते हुए 10 फिट चोड़ा रास्ता में से आवागमन करता चला आ रहा है।

सरकारी सड़क जो कि ग्राम हरसौली से बीबीरानी जा रही है। जिस सरकारी सड़क से लगते हुए अप्रार्थीगन की आराजीयात है तथा अप्रार्थीगन की आराजी के तरफ पूर्व में प्रार्थी की आराजी ख0 सं0 105 है। तथा मिन प्रार्थी की आराजी ख0 सं0 105 से शुरू होकर सरकारी मुख्य सड़क को 10 फिट चोड़ा रास्ता जारी है। जिससे पहले पूर्व खातेदार काश्तकार अपनी आराजी ख0 सं0 105 में आवागमन करता था अपने बेल गाड़ी उंट गाडी ट्रैक्टर आदि साधन लाता था तथा ले जाता था तथा अब बाद खारीद मिन प्रार्थी उक्त रास्ता से अपनी आराजी में आवागमन कर रहा है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मिन प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु नही है। उक्त रास्ता की बावत पहले पूर्व खातेदार काश्तकार को समस्त प्रकार के सुखाधिकार प्राप्त थे तथा बाद खरीद उक्त आराजी के मिन प्रार्थी को उक्त रास्ता की बाबत समस्त प्रकार के सुखाधिकार हांसिल हो चुके है। प्रार्थी ने अपनी आराजी खं0सं0 105 में बोरिंग किया हुआ है। वही कृषि प्रयोजनार्थ कोठडी बनाई हुई है कृषि विधुत संवंध लिया हुआ है कोठडी में अपने कृषि यन्त्र रखता है कि जिनको अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। प्रार्थी की आराजी में बोरिंग व कोठडी में आने जाने का इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी ने दिनांक 05.12.2017 को अप्रार्थीगन से प्रार्थी के खेत में बोरिंग कृषि संवध व खेत में बनी कोठडी तक आने जाने हेतु रास्ता 10 फिट चोडा से उक्त ख0 स0 105 के पूर्व खातेदार काश्तकार व बाद खरीद स्वयं के लिए उक्त आराजी में आवागमन हेतु सहमति चाही तो उन्होने इन्कार कर दिया।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण की आराजी ख0 सं0 487/102 व 101 ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में से

उप खण्ड अधिकारी (अलवर)

Scanned by CamScanner

सड़क ग्राम हरसौली से ग्राम बीबीरानी की तरफ जा रही सड़क से तरफ पूर्व में अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात स्थित है तथा अप्रार्थीगण की आराजीयात के तरफ उत्तर में डोल से लगते हुए 10 फिट चोडा रास्ता प्रार्थी की आराजी ख0 नम्बर 105 ग्राम दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 तक दिलाया जावे और इसी कदर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता का अंकन कराया जावे। उक्त आराजी अप्रार्थीगन की आराजी से लगती हुई है। जिसमें से रास्ते में से दी जाने वाली भूमि उस भूमि के बदले में बराबर भूमि देने को तैयार हूँ व विकल्प में डी.एल.सी. रेट से राशि भी प्रार्थी देने के लिए तैयार है।

विद्वांन अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी ख0न0 105 को खरीदना कथन कर रहा है। जिससे खरिदने का कथन किया है उसके द्वारा कराये गये बैयनामें में कही मार्ग व रास्ते का जिक्र नही है। प्रार्थी ने रास्ता अथवा मार्ग के संबन्ध में बनावटी, मिथ्या वो गलत तथ्य दर्ज किये है। जिससे प्रार्थी खरीदना चाहता है उस व्यक्ति ने भी कभी इस संबन्ध में अपने जीवन काल में कोई उज्र नही किया और नाही कोई अपना अधिकार बताया। प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से भूमि खरीद की है तो धनबल व लठ के बल से हम अप्रार्थीगण की आराजी को क्षति व नुकसान पहुचाने के उदेश्य से बनावटी व नूमायसी व गलत तथाकथित रास्ता का तथ्य दर्ज किया है। जब कोई ऐसा तथाकथित रास्ता है ही नही और ना ही कभी रास्ता का वजूद रहा है तो किसी के भी आवागमन करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। आराजी ख0न0 487/102 व आराजी ख0 न0 101, 488/103, 104 को इससे उत्तर–दक्षिण को लगती हुई आराजीयात खसरा नम्बरान हम अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा अप्रार्थीगण की आराजी के तरफ पूर्व को अन्य खातेदारान की आराजी लगती हुई है। जिन्होने भी कभी भी हम अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता होना नही बताया। जिन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है वो धारा 251 ऐ. राज.टी.ए की तारीफ में नही आता और ना ही न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार का है। इस तरह के अधिकारो के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शैडयूल तृतीय के पार्ट द्वितीय में तहसीलदार को अधिकारिता है एवं जैसा की प्रार्थी सुखाधिकार अधिकार के संबन्ध में उल्लेख करके आया है वहा सिर्फ एक मात्र क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट (दिवानी न्यायालय) की है। प्रथम दृष्टया जिन तथ्यो के आधार पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है वो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ऐ. राज.टी.ऐ. की तारीफ मे नही आने के कारण न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नही है। ना कानूनन श्रवण योग्य है। न्यायालय श्रीमान में कानूनन प्रार्थना पत्र पिजराई नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसील कोटकासिम से मौका रिपोर्ट बाबत रास्ता दिनांक 20.06.2018 को भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई। मौका रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई। मोका रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर है। मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी संलग्न है जिसमें प्रस्तावित वैकल्पिक रास्तो को लाल बिन्दुवार रेखा से दर्शाया गया है। मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा न0 105 तक पहुँचने वाले सभी वैकल्पिक रास्तो की रिपोर्ट की गई है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 के खाता सं0 14/12 में ख0न0 101, अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है व खाता सं0 487/102 अप्रार्थीगण 1 व 2 के नाम दर्ज है। खाता स0 186 के नोट में खसरा न0 105 में प्रार्थी का 56/105 हिस्सा दर्ज है।

काश्तकार को अपने खेत में काश्त हेतु रास्ता की आवश्यकता होती है, हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने पूर्व से उपयोग में आ रहे रास्ता को रिकार्ड में स्वीकृत करवाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी को यदि यह रास्ता रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा उपयोग करने से रोक दिए जाने पर प्रार्थी काश्त करने से वंचित हो जाएगा। प्रार्थी के खेत तक पंहुचने हेतु अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब, बहस में यह साबित नही किया है कि प्रार्थी के पास अपने खेत तक पहुँचने हेतु कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

[5]

काश्तकार को अपने खेत में काश्त हेतु रास्ता की आवश्यकता होती है, हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने पूर्व से उपयोग में आ रहे रास्ता को रिकार्ड में स्वीकृत करवाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी को यदि यह रास्ता रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा उपयोग करने से रोक दिए जाने पर प्रार्थी काश्त करने से वंचित हो जाएगा। प्रार्थी के खेत तक पंहुचने हेतु अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब, बहस में यह साबित नही किया है कि प्रार्थी के पास अपने खेत तक पहुँचने हेतु कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध हो । इस प्रकार प्रार्थी की रास्ता बाबत आत्यन्तिक आवश्यकता साबित है। नए रास्ता की स्वीकृति हेतु रास्ता लघुतम चाहिए। तहसील कोटकासिम से प्राप्त रिपोर्ट में जिन रास्तो का वर्णन किया है उन सभी की दूरी लगभग समान है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा न0 487/102, 101 से रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थीगण के खेत की उत्तरी सीव के साथा–साथ है, जिससे अप्रार्थीगण के खेत के दो टुकड़े होने की कोई संभावना नही है, दोनो खसरा न0 487/102, 101 के खातेदार काश्तकार समान है, इसलिए रास्ता के विनिमय में अनुतोष दिए जाने में सहूलियत रहेगी। ख0.न0. 486/98, 99, 100 में तीन खसरे है, जिनको पक्षकार बनाया जाना, सुनवाई करना आदि के कारण प्रार्थना पत्र के निर्णय में विलम्ब कारित होगा। फिर संभावित पक्षकार रास्ता स्वीकृति हेतु सहमत हो, यह भी आवश्यक नही है। तीसरे विकल्प के खसरा न0 488/103 दो भागो में बंट जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत तीनो विकल्पो में से खसरा न0 487/102 व ख0न0 101 में रास्ता स्वीकृति का विलल्प अधिक औचित्यपूर्ण व न्यायसंगत है। स्वयं अप्रार्थीगण को इस रास्ता स्वीकृति से कोई हानि की संभावना नही है ब्लकि स्वीकृत शुदा रास्ता उनके उपयोग उपभोग हेतु उपलब्ध रहेगा।

रास्ता के विनिमय के अनुतोष में भूमि के बदले भूमि दिया जाना अधिक उचित है, क्योंकि अप्रार्थीगण के खसरा न0 101, प्रार्थी के ख0न0 105 से चिपका हुआ है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी 251 ऐ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित होने पर स्वीकार किया जाता है व खसरा न0 487/102 व खसरा न0 101 की उत्तरी डोल के साथ–साथ 10 फुट चौड़ा रास्ता खसरा न0 487/102 में चालू रिकार्डेड उत्तर दक्षिण सड़क से प्रारम्भ कर खसरा न0 105 की पश्चिमी डोल तक पश्चिम से पूर्व स्वीकृत किया जाता है, तहसीलदार कोटकासिम को आदेश दिया जाता है स्वीकृत किए गए रास्ता के क्षेत्रफल की गणना कर उसके बराबर क्षेत्रफल की भूमि प्रार्थी के खसरा न0 105 में हिस्सा में से कम की जाकर अप्रार्थीगण के ख0न0 101 के पूर्वी डोल के साथ जोडी जाकर अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज की जावे, स्वीकृत किए गए रास्ता व विनिमय भूमि का राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner